प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद।

प्रेषित,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2718 /सिनिखगा/जि/डूब क्षेत्र दिनांक 27/08/2021

विषय: जनपद–गाजियाबाद में डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद–गाजियाबाद में हिण्डन नदी शहर के मध्य से गुजरती है। इस नदी के ग्राम–अर्थला, कनावनी, करहैडा, मोरटी, अटौर, असालतनगर मेवला अगरी एवं भनेड़ा की भूमि में स्थानीय प्रोपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से नदी के डूब क्षेत्र में आवासीय प्लाटिंग की जा रही है, जिनमें अवैध निर्माण किये जा रहे है, जो दृष्टिगत आधार पर मानक अनुसार भी प्रतीत नहीं हो रहे है, जिससे कभी भी आकाश नगर एवं (शाहबेरी गौतमबुद्धनगर) जैसी घटना घटित हो सकती है।

बाढकाल के समय भी इन सभी आवासीय कालोनी में बाढ का पानी भरने से भारी जन–धन की हानि होना सम्भावित है। उपरोक्त सभी ग्राम–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। शासनादेश सं–1417बी–27–सि–2–181बाढ/09 दिनांक 16.03.2010 के प्रस्तर एक एवं दो में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके एवं बाढकाल के समय जन–धन की हानि न हो।

27/08/21

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

पत्रांक : /सिनिखगा/जि/डूबक्षेत्र/तददिनांक

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत निगम, राजनगर गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु सं.–9 में दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद

सचिव
VC 28-08-021
A.S.
सचिव 1/9/21
6991 28/8/21